



● बीआरकेजीबी एनएससी / केवीपी के विरुद्ध मांग / अधिविकर्ष ऋण सुविधा योजना

1	उद्देश्य	उत्पादक प्रयोजनों/नियोजन एवं निजी आवश्यकताओं की पूर्ति व तरलता बनाये रखने हेतु राशि उपलब्ध करवाना।
2	पात्रता	ऐसे व्यक्ति जिनके स्वयं के नाम अथवा संयुक्त नाम में एनएससी/केवीपी है।
3	ऋण सीमा	सामान्य ग्राहकों हेतु – आवधिक ऋण न्यूनतम रु. 3000/- अधिविकर्ष न्यूनतम रु.15000/- अधिकतम सीमा – कोई अधिकतम सीमा नहीं है।
	मार्जिन	सामान्य ग्राहकों हेतु – यदि एनएससी/केवीपी की परिपक्वता अवधि 3 वर्ष से कम है – अंकित मूल्य का 20 प्रतिशत परिपक्वता अवधि 3 वर्ष से अधिक होने पर अंकित मूल्य का 25 प्रतिशत
	ब्याज दर	बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रानुसार निर्धारित ब्याज दर लागू होगी जो मासिक रूप से प्रभारित होगी।
	प्रोसेसिंग प्रभार	सामान्य ग्राहकों हेतु – बैंक द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रानुसार
	अवधि	12 माह (वार्षिक समीक्षा के अधीन )
	पुनर्भुगतान	आवधिक ऋण-अधिकतम 36 मासिक किश्तों में देय होगी अधिविकर्ष खातों में ब्याज मासिक आधार पर वसूल किया जाएगा तथा मूल राशि एनएससी/केवीपी के परिपक्व होने तक
	प्रतिभूति	जारीकर्ता डाकघर से बैंक के पक्ष में प्लेज की हुई एनएससी/केवीपी, जो आवेदक से डिस्चार्ज की हुई हो।